

पुलिस आदेश सं० 285 /2002 .

प्रसंग:- पुलिस आदेश संख्या-209/88 में आंशिक संशोधन ।
विषय:- प्रत्येक जिला/व्यवहारी में आरक्षियों के स्वीकृत बल में से 3-3 पद मुठभेड़ अथवा कर्तव्य में मृत आरक्षी बल के सदस्यों के नाबालिग बच्चों के लिए सुरक्षित रखने के संबंध में ।

पुलिस आदेश संख्या 209/88 के अन्तर्गत बाल आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा 12 से 18 वर्ष तक है । 19 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बाल आरक्षी को सेवा समाप्त एवं ड्यूटी होने पर और निर्धारित शारीरिक माप एवं वैशेषिक योग्यता रखने पर आरक्षी पद पर नियुक्ति का प्रावधान है ।

वर्तमान में सरकार द्वारा आरक्षी पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा निर्धारित की गई है । तदनुसार पुलिस आदेश सं०-209/88 में निम्न आंशिक संशोधन किया जाता है :-

बाल आरक्षी पद पर नियुक्ति हेतु उम्र सीमा 12 वर्ष से 18 वर्ष के अन्दर होनी चाहिये । पुलिस आदेश संख्या- 209/88 को इस हद तक संशोधित समाप्त जाय । सभी अंश पूर्ववत् रहेंगे ।

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना ।

हाथसिक 3740 /पे० 2
43-38-126-2000

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक का कार्यालय, बिहार ।
पटना, दिनांक 21 अगस्त, 2002.

प्रतिलिपि:-

- 1- सभी आरक्षी अधीक्षक/रेल/अपराध अनुसंधान विभाग/विशेष शाखा सहित/ सभी समावेष्टा अश्वारोही नैन्य पुलिस, आरा सहित/ को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
- 2- आरक्षी अधीक्षक, आरक्षी प्रशिक्षण निदेशालय, नारथनगर, भास्करपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
- 3- आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक/विलतु, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
- 4- सभी क्षेत्रीय आरक्षी उप-महानिरीक्षक/रेल/अपराध अनुसंधान विभाग/नैन्य पुलिस/विशेष शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।
- 5- सभी प्रदेशीय अपर महानिदेशक/रेलवे सहित/ को सूचना सूचनार्थ ।

Pras 20.8.2002

आरक्षी उप-महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार, पटना ।

1782002

11/11/02
12.8.2002